भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1197

28.07.2025 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित अधिसूचना

1197. डॉ. शशि थरूर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छह राज्यों में पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के रूप में वर्गीकृत करने वाली मसौदा अधिसूचना की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा, राज्यों, विशेषकर केरल, की चिंताओं कि यह अधिसूचना कृषि बागानों को शामिल करेगी, राज्य की जलविद्युत योजनाओं को कम कर देगी तथा राज्य के उच्च जनसंख्या घनत्व को देखते हुए प्रवासन संकट उत्पन्न करेगी, को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्यों में आम सहमति बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने परामर्श प्रक्रिया को पूरा करने और अंतिम अधिसूचना जारी करने और कार्यान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) पश्चिमी घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 31.07.2024 को का.आ. 3060 (अ) के तहत पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र संबंधी मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की है, जो छह राज्यों अर्थात् गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करती है।

केरल सरकार ने स्थानीय स्वशासन विभाग से प्राप्त सुझावों के सत्यापन के आधार पर दिनांक 02.11.2024 को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें 12 जिलों के 29 तालुकों में फैले 98 गांवों के 8590.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय को विभिन्न हितधारकों से इस मसौदा अधिसूचना पर टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और उन्हें इस मामले पर टिप्पणियां/सुझाव देने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रालय ने पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पहलुओं और क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, आवश्यकताओं और विकासात्मक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, छह राज्यों के सुझावों की समग्र रूप से जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए समिति द्वारा केरल सहित राज्य सरकारों की समस्याओं/सुझावों पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है।

*****